तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 72/2022 बअनवान मृतक वन्नारामका.मु.शंकरा वगै. बनाम मृतक हीराराम का.मु. ओमाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 20.07.2022

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री सुरेश चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित होने से अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांटगण ने जानबूझकर कोई देरी व लाप. रवाही नहीं की है ज्ञान के तुरन्तु बाद तत्परता से न्यायालय में पेश होकर प्रार्थना–पत्र नकल पाने का पेश कर नकलें दिनांक 26.04.2022 को प्राप्त कर व अन्य नकले भू अभिलेख से प्राप्त कर व सम्यक तत्परता के साथ वकील मुकर्रर कर अपील तैयार कर पेश की जा रही है। न्यायहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न. लिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2014(1) Page 523
RLW 2005(1) Page 433
RLW 2008(2) Page 1185
RLW 2008(2) Page 1142
RLW 2005(2) Page 397
RLW 2006(1) Page 324

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध तकरीबन 06 वर्ष बाद अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होगे। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। कब्जा अपीलांट का है तो भी स्थगन से अपीलांटगण को कोई हानि नहीं हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तंगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर